

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट) ⁹⁴⁵⁸.....न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-^{28/08/20}.....

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, देव को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त नवगठित नगर पंचायत, मदनपुर (औरंगाबाद) का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022(पार्ट) ⁹⁴⁵⁸/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-^{28/08/20}

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, देव /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मदनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-11/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/08/2020

सरकार के अवर सचिव।